कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

पत्रांक : 194 / 14–16 जौनपुर : दिनांक : जुलाई, 15, 2019

सेवा में,

एसोसिएट मैनेजर, प्रोजेक्ट
ओवरा–सी बड़ौन ट्रान्समिशन लिमिटेड,
आनन्द निकेतन, नई दिल्ली–110021।

विषयः– जनपद जौनपुर में ओवरा–सी बड़ौन ट्रान्समिशन लिमिटेड, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली–112221 द्वारा प्रस्तावित ग्रामों/क्रासिंग मार्गो के अन्तर्गत 400 केवी0 डी0सी0 ट्रान्समिशन लाइन बिछाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक OBCTL/F&WL/13 दिनांक 13.06.2019।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी मड़ियॉहूं, बरसठी, मछलीशहर व आपके प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त निरीक्षण कराया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी मड़ियॉहूं, बरसठी, मछलीशहर द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिछायी जाने वाली 400 केवी0 डी0सी0 ट्रान्समिशन लाइन, क्रमशः 1. लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग (एस0एच0–5) किमी0 8.00 से 9.00 के मध्य, 2. मछलीशहर–जौनपुर मार्ग (एन0एच0–231) किमी0 22 से 23 के मध्य 3. जंघई–जफराबाद रेलपथ किमी0 24.80 से 25.00 के मध्य क्रास करेगी। जिसकी पटरियां संरक्षित वन घोषित है। संयुक्त निरीक्षण के अनुसार के बाधक वृक्षों की गणना करवायी गयी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

सारिणी–1 (संरक्षित वन भूमि)

क्रम सं0	रेंज का नाम	मार्ग/स्थल का नाम	बाधक वृक्षों की संख्या	प्रभावित वृक्षारोपण	प्रभावित संरक्षित भूमि क्षेत्रफल (हे0में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	मड़ियॉहूं	लुम्बिनी–दुद्धी मार्ग (एस0एच0–5) किमी0 8.00 से 9.00 के मध्य	06	—	0.0620	—
2	—"—	मछलीशहर–जौनपुर मार्ग (एन0एच0–231) किमी0 22 से 23 के मध्य	02	14 ब्रिकगार्ड	0.0580	—
3	बरसठी	जंघई–जफराबाद रेलपथ किमी0 24.80 से 25.00 के मध्य	10	—	0.398	—
		योग–	18	14 ब्रिकगार्ड	0.518 हे0	

सारिणी–1 के अनुसार (संरक्षित वन भूमि) प्रभाग के अन्तर्गत संरक्षित वन क्षेत्रों में 400 केवी0 डी0सी0 ट्रान्समिशन लाइन क्रास किया जाना प्रस्तावित है, जो संरक्षित मार्ग/रेलमार्ग पर प्रभावित होने वाले बाधक वृक्षो की संख्या 18, संरक्षित वनभूमि तथा 14 ब्रिकगार्ड वृक्षारोपण प्रभावित होगे। वन संरक्षण अधिनियम–1980 की धारा–2 व माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका सं0–202/1995 टी0 एन0 गोडार्वमन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मामले में पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 के अनुसार संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

अतः उक्त सम्बन्ध में अनुरोध किया जाता है कि 400 केवी0 डी0सी0 ट्रान्समिशन लाइन बिछाये जाने हेतु प्रभावित वृक्षों के पातन तथा प्रभावित संरक्षित वनभूमि का भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्तुत प्रस्ताव उच्चाधिकारियों के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(ए0पी0पाठक)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

संख्या / समदिनांक

प्रतिलिपि– उक्त के क्रम में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– उप प्रभागीय वनाधिकारी जौनपुर/शाहगंज।

2– क्षेत्रीय वनाधिकारी, मड़ियॉहूं, बरसठी, मछलीशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यह सुनिश्चित करें संरक्षित वन क्षेत्रों में, भारत सरकार के अनुमति के बगैर किसी प्रकार के कार्य कदापि न होन पाये।

(ए0पी0पाठक)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,जौनपुर।

Obra-C Badaun Transmission Ltd. Bareilly

परिशिष्ट – 4.9

वन विभाग

विविध

10 फरवरी, 1960

संख्या– 1115/XIV - 331-50 उत्तरप्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इण्डियन फारेस्ट एक्ट 1927 (एक्ट – XVI/ 1927) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएव उपर्युक्त उप धारा के प्रतिबन्धक द्वारा और उपर्युक्त एक्ट की धारा– 80 ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने तक उक्त एक्ट के अध्याय 4 के उपलब्ध संलग्न अनूसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

जिला	मार्ग का नाम	दूरी मील, फलांग व फीट में	विवरण
जौनपुर	1. लखनऊ बनारस रोड	165 से 176 तक	भूमि का सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गई है।
	2. बादशाहपुर रेलवे फील्डर रोड	0 से 2 फलांग 545 फीट	
	3. लाइन बाजार नईगंज बाईपास रोड	1 मील 3 फलांग 266 फीट तक	
	4. मिर्जापुर जौनपुर रोड	25 मील 1 फलांग 177 फीट तक	– " –
	5. लखनऊ बलिया रोड	18 मील 1 फलांग 135 फीट तक	– " –
	6. जौनपुर शाहगंज अकबरपुर	21 मील 1 फलांग 447 फीट तक	– " –
	7. इलाहाबाद गोरखपुर रोड	9 मील 1 फलांग491 फीट तक	– " –
	8. मछलीशहर–जंघई रोड	12 मील – फलांग 1 फीट तक	– " –
	9. जौनपुर प्रतापगढ़ रोड	24 से 27 मील 6 फलांग 520 फीट	– " –
	10. लालसराय दीदारगंज रोड	0 से 6 मील 5 फलांग 150 फीट	– " –
	11. अगबरपुर मुट्ठीगंज रोड	1 मील 3 फलांग 440 फीट	– " –
	12. शाहगंज तिकोलिया रोड	0 से 7 मील 3 फलांग 280 फीट	– " –
	13. मीनपुर रेलवे स्टेशन मार्ग	0 से 60 फलांग 280 फीट	– " –
	14. मीनपुर फाड़ा सी०सी० फफरा	5 फलांग 73 फीट से 7 फलांग 20 फीट तक।	
	15. सराय	0 से 4 मील 4 फलांग 591 फीट	– " –
	16. लिंग रोड	0 से 2 फलांग 121 फीट तक	– " –
	17. रेलवे फिडर रोड	0 से 14 फलांग 447 फीट तक	– " –
	18. बनारस आजमगढ़ रोड	0 से 23 मील 1 फलांग 40 फीट	– " –
वाराणसी	1. बनारस बलिया रोड	मील 1 से मील 5 तक	– " –
	2. सारनाथ रोड	1 मील 2 फलांग तक	– " –
गाजीपुर	1 बनारस बलिया रोड	20 से 47 मील तक	– " –
	2 गाजीपुर–गोरखपुर रोड	65 से 85 मील तक	– " –
	3. बनारस बलिया रोड	47 से 70 मील तक.	– " –
	4 मृगहरा आड रोड	1 से 2- (फलांग–2) तक	– " –

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर

Obra-C Badaun Transmission Ltd. Bareilly

परिशिष्ट – 11.2

संरक्षित वन घोषित रेलपथ पटरियों का विवरण

सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर के अन्तर्गत निम्न लिखित रेलपथ पटरियां संरक्षित वन घोषित हैं –

क्र0सं0	क्षेत्र का नाम	किमी0 संख्या जो संरक्षित वन घोषित है		विज्ञप्ति संख्या
		किमी0 से	किमी0 तक	
1	2	3	4	5
उत्तर रेलवे				
1				
1	जफराबाद–फैजाबाद जं0	823	874	104 / xiv–2–503–77 दिनांक 09.05.1977
2	जंघई–प्रतापगढ़ जं0 जफराबाद	0	47	104 / xiv–2–503–77 दिनांक 09.05.1977
3	जंघई–प्रतापगढ़ जं0	0	870	104 / xiv–2–503–77 दिनांक 09.05.1977
4	वाराणसी–जफराबाद जं0	800	823	3559(2) / xiv–2–503–77 दिनांक 22.06.1978, (उ0प्र0गजट,भाग–1 में दिनांक 15.07.1978 को प्रकाशित)
5	जफराबाद–सुल्तानपुर जं0	823	870	–"–
6	वाराणसी–प्रतापगढ़ जं0	837	870	–"–
पूर्वोत्तर रेलवे				
7	औड़िहार–जौनपुर जं0	9	58	8109 / xiv–2–503–77 दिनांक 25.01.1979
8	मऊ–शाहगंज जं0	83	98	8109 / xiv–2–503–77 दिनांक 25.01.1979

****

Obra-C Badaun Transmission Ltd. Bareilly

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर